



प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 04.11.2025



जनपद सोनभद्र पुलिस की सूचना पर गाजियाबाद में संयुक्त कार्रवाई, अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश-

गाजियाबाद में 3.40 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद, 8 शातिर तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की तस्करी, फरार/वांछित/ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं रोकथाम के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतिबंधित Eskuf व Phensedyl Cough Syrup की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। दिनांक 03/04.11.2025 की रात्रि में सोनभद्र पुलिस की सूचना पर कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, थाना नंदग्राम पुलिस एवं सोनभद्र पुलिस टीम द्वारा मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम परिसर से 08 शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार व कब्जे से प्रतिबंधित कफ सीरप की कुल 1,57,350 शीशियाँ (Eskuf व Phensedyl), 02 ट्रक, 02 आयशर कैंटर, 01 क्रेटा कार (UP14FB2244), ₹20 लाख नगद, 02 लैपटॉप, 10 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, मुहरें, तथा Tapentadol टेबलेट्स (19 स्टिप) इत्यादि बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य अभियुक्त सौरव त्यागी है, जबकि संतोष भड़ाना उसका मुख्य ट्रांसपोर्टर है, जिसके गोदाम से प्रतिबंधित कफ सीरप ट्रकों में लोड किया गया था। सौरव त्यागी ने बताया कि इन कफ सीरप (Eskuf, Phensedyl) में कोडीन होने से यह नशे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनकी भारत में बिक्री प्रतिबंधित है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस तस्करी का संचालन मुख्य सरगना आसिफ व वसीम (मेरठ) तथा शुभम जायसवाल (वाराणसी) द्वारा किया जाता था। सौरव त्यागी एनसीआर क्षेत्र में इस नेटवर्क का प्रमुख था, जो अपने फर्जी फार्मा लाइसेंसेसों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों से कफ सीरप खरीदकर उन्हें ट्रांसपोर्ट गोदाम में छिपाता था। मांग मिलने पर ट्रकों में अन्य सामान के बीच छिपाकर झारखंड, बंगाल, असम आदि राज्यों को भेजा जाता था, जहां से बांग्लादेश तक इसकी तस्करी की जाती थी। अन्य अभियुक्त शादाब व शिवाकांत सौरव के कर्मचारी हैं, जो माल लोडिंग व रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, जबकि अम्बुज गोदाम कर्मचारी और अन्य चालक तस्करी में सहयोगी थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सौरव त्यागी पुत्र मुकेश कुमार त्यागी निवासी मकनपुर शनि चौक के पास थाना इन्द्रापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।
2. शादाब पुत्र रियाजुद्दीन निवासी म0नं0 781 लाला प्रमोद वाली गली, कैला चौक कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
3. शिवकान्त उर्फ शिव पुत्र सियाराम निवासी ग्राम बेदीपुर, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर हाल निवासी विपिन पाल का किराये का मकान, आम्नपाली स्कूल के पास कनावनी, थाना इन्द्रापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

4. संतोष भडाना पुत्र जयकार सिंह निवासी म0नं0 42 ग्राम गढी माजरा भट्टा नं0 05, थाना मधुबन बापूधाम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।

5. अम्बुज कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नंगली साधारण, थाना दौराला, जनपद मेरठ, हाल पता: मछली गोदाम हरवंश नगर, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

6. धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 पूरणमल सिंह निवासी ग्राम शेषपुर, थाना सुरापुरा, जनपद सुल्तानपुर उ0प्र0, हाल पता राजन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिवासपुर दिल्ली उम्र करीब 49 वर्ष।

7. दीपू यादव पुत्र वृषभान यादव निवासी ग्राम जरवा, थाना जतारा, जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष।

8. सुशील यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम जरवा, थाना जतारा, जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

प्रतिबंधित कफ सीरप की कुल 1,57,350 शीशियाँ (Eskuf व Phensedyl)

02 ट्रक, 02 आयशर कैंटर, 01 क्रेटा कार (UP14FB2244)

₹20 लाख नगद, 02 लैपटॉप, 10 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, मुहरें, तथा Tapentadol टेबलेट्स (19 स्टिप)

कार्यवाही में सम्मिलित टीम:-

1. स्वाट टीम, अपराध शाखा, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2. थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम, जनपद सोनभद्र।

3. थाना नंदग्राम पुलिस टीम, गाजियाबाद।